

धारा 43क : ¹[.....]

- 1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा धारा 43क विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

विलोपन के पूर्व यह धारा इस प्रकार थी :

धारा 43क : विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया

- (1) धारा 16 की उपधारा (2), या धारा 37 या धारा 38 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, पूर्तिकारों द्वारा की गई पूर्तियों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमाम्य, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा।
- (2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में किसी बात के होते हुए भी प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जाएगा, जो विहित किया जाए।
- (3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।
- (4) उपधारा (3) के अधीन जावक पूर्तियों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (5) ऐसी जावक पूर्तियों में, जिसके लिए पूर्तिकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा।
- (6) किसी पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, जावक पूर्तियों के संबंध में लिए गए, यथास्थिति इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु विवरणी अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- (7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रूपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकेगा।
- (8) ऐसी जावक पूर्तियों, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, सुरक्षोपाय और कर की रकम की अवसीमा,—
 - (i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर;
 - (ii) जिसने कर संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय के अंतिम तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है,वह होगी, जो विहित की जाए।”

A. धारा 43क सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा अंतःस्थापित।